बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री शिव शंकर प्रसाद, प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक –सह–प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, धनरूआ जिला– पटना के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक– 3590 दिनांक– 14.12.2017 द्वारा 24,000/– (चौबीस हजार रूपये) रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार करते हुए श्री प्रसाद को न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जाने तथा उनके विरूद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या– 109/2017, दिनांक– 06.12.2017, धारा–7/13(2)–सह– पठित धारा–13(1)(डी) भ्र0नि0अधि0, 1988 दर्ज किये जाने की सूचना उपलब्ध करायी गयी है।

2. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना से प्राप्त उक्त सूचना एवं प्रतिवेदित गम्भीर आरोप के आलोक में श्री शिव शंकर प्रसाद, प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक–सह–प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, धनरूआ जिला– पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली– 2005 के नियम 9(1)(क) एवं 9(1)(ग) तथा 9(2)(क) के अन्तर्गत दिनांक– 06.12.2017 (कारा–निरोध की तिथि) के प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।

3. निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय जिला आपूर्ति कार्यालय, भोजपुर (आरा) रहेगा ।

4. निलम्बन अवधि में श्री शिव शंकर प्रसाद, प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक–सह–प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, धनरूआ जिला– पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली– 2005 के प्रावधानों के अनुसार अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

ह0/–
(चन्द्रशेखर)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक–प्र08गो0आ0(पटना)–53/2017 -76 /खाद्य,पटना/दिनांक 04.1.18

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, पटना/भोजपुर/पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पटना/भोजपुर/प्रशाखा पदाधिकारी–03 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा श्री शिव शंकर प्रसाद, प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक–सह–प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, धनरूआ जिला– पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

04/I/XVIII

सरकार के अपर सचिव ।